सं. 14/5/2016-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
ईओयू अनुभाग
******

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक:16 नवंबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय:9 नवंबर, 2016 को आयोजित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 5वीं बैठक (2016 सीरीज) का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनॉक 09.11.2016 को आयोजित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 5वीं बैठक (2016 सीरीज) के कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राथमिकता आधार पर कृपया इस विभाग को अग्रेषित की जाए।

संलग्नक : यथोपरि

(आदित्य नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23062496
ई-मेल : aditya.n@nic.in

1.औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (कस्टम्स)]/ डीजीईपी, वित्त मंत्रालय
3.सीबीडीटी [सदस्य (इनकम टैक्स)], वित्त मंत्रालय
4. डीजी, डीजीएफटी
5.संयुक्त सचिव,वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान मंत्रालय
7. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय
8.सभी डीसी

प्रतिलिपि: वाणिज्य सचिव के पीएसओ/एएस(एवीसी) के पीपीएस/निदेशक (टीवीआर) के निजी सचिव

दिनॉक 09.11.2016 को अपराहन 03.30 बजे, कमरा सं. 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 5वीं बैठक (2016 सीरिज) का कार्यवृत

5.1 (16) 12.08.2016 को आयोजित चौथी बीओए (2016 सीरीज) के कार्यवृत की पुष्टि।

बीओए ने 12.08.2016 को आयोजित इसकी चौथी बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की ।

5.2 (16) मैसर्स मायलान लेबोरटरीज लि. तेलगांना- वीएसईजेड के तहत डीटीए इकाई का ईओयू में रूपान्तरण के लिए प्रस्ताव ।

बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद, अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत बकाया निर्यात प्रतिबधता के लिए एफटीपी 2015-20 के परिशिष्ट के परिशिष्ट 6 एम और एएनएफएस (आयात निर्यात प्रपत्र) के अनुपालन के साथ एफटीपी (विदेश व्यापार नीति)और एचबीपी (प्रक्रियाओं की पुस्तिका) में निर्धारित प्रावधानों के अध्यधीन वीएसईजेड के तहत डीटीए इकाई का ईओयू में रूपान्तरण करने के लिए मैसर्स मायलान लैबोरेटरीज, लि., तेलगांना के प्रस्ताव को अनुमोदत किया है।

5.3 (16) मैसर्स स्टेलिस बायोफार्मा प्राईवेट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत एक ईओयू- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना माडयूलर पैनल्स/लैबोरेटरी फर्नीचर के आयात/ खरीद के लिए प्रस्ताव।

बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना माडयूलर पैनल्स/लैबोरेटरी फर्नीचर के आयात/खरीद के लिए सीएसईजेड के तहत एक ईओयू मैसर्स स्टेलिस बायोफार्मा के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

5.4 (16)मैसर्स नेक्टर थेराप्युटिक्स (इण्डिया) प्रा.लि.और शान्या बायोटेकनिक्स प्रा.लि., वीएसईजेड के तहत ईओयू- शुल्क मुक्त प्रतिबंधित मदों जैसे माइस, चूहे और गिनी पिग्स की खरीद हेतु प्रस्ताव ।

बोर्ड ने, विचार विमर्श के बाद, डीजीएफटी लाईसेन्स और सीआईटीईएस एवं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जैसे अन्य लागू नियमों/विनियमों के अध्यधीन शुल्क मुक्त प्रतिबंधित मदों अर्थात् माइस, चूहों और गिनी पिग्स की खरीद के लिए मैसर्स नेक्टर थेराप्युटिक्स (इण्डिया) प्रा.लि. और मैसर्स शान्था बायोटेक्निक्स प्रा.लि., वीएसईजेड के तहत ईओयू के प्रस्तावों को अनुमोदित किया।

5.5 (16) मैसर्स माही ग्रेनाइटस प्रा.लि., वीएसईजेड के तहत एक ईओयू- शुल्क मुक्त पीईबी अवसंरचना की खरीद के लिए अनुमति ।

बोर्ड ने शुल्क मुक्त पीईबी अवसंरचना की खरीद के लिए मैसर्स माही ग्रेनाइटस प्रा.लि., वीएसईजेड के तहत एक ईओयू, के प्रस्ताव पर विचार किया। डीजीईपी का मत था कि ऐसी वस्तुओं का उद्धेश्य सिविल अवसंरचना का निर्माण करना है। ऐसी सिविल अवसंरचना से हुए किसी तरह के अतिरिक्त लाभ से वस्तुओं की मूलभूत प्रकृति नहीं बदलेगी । अतएव् बोर्ड ने इकाई के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

5.6 (16) मैसर्स वेंचर मेटल प्रोडक्टस पी लि., एमईपीजेड के तहत एक ईओयू- एलओपी के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव।

बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद, केन्द्रीय उत्पाद, अधिकारियों से ब्लाक अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान इकाई की नकारात्मक एनएफई के कारण माफ किये गये डीसी,एमईपीजेड द्वारा आनुपातिक शुल्क और इकाई द्वारा इसका भुगतान का विवरण प्राप्त करने के अध्यधीन 11.08.2014 से 10.08.2019 तक की तीसरी, पँच वर्षीय ब्लाक के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स वेंचर मेटल प्रोडक्टस प्रा.लि. एमईपीजेड के तहत एक ईओयू , के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

5.7 (16) मैसर्स एसएमसी मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत एक ईओयू - व्यापारिक क्रियाकलाप करने हेतु अनुमति के लिए प्रस्ताव

बोर्ड ने, विचार विमर्श के बाद व्यापारिक क्रियाकलाप करने के लिए अनुमति हेतु मैसर्स एसएमसी मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत एक ईओयू के प्रस्ताव पर विचार किया। बोर्ड ने अवलोकन किया कि एफटीपी 2015-20 के पैरा 6.00 (क) के अनुसार, व्यापारिक इकाई ईओयू स्कीम के तहत कवर नहीं किये जाते है। अतएव, बोर्ड ने इकाई के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

अनुपूरक एजेंडा

5.8 (16) मैसर्स एमएसपी स्पंज आयरन लि., ओडिसा- एफएसईजेड के तहत एक डीटीए इकाई का ईओयू में रूपान्तरण के लिए प्रस्ताव ।

बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद, एफएसईजेड के तहत एक डीटीए इकाई का ईओयू में रूपान्तरण के लिए एफटीपी और एचबीपी में निर्धारित प्रावधानों के अध्यधीन मैसर्स एमएसपी स्पंज आयरन लि., ओडिसा के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

टेबल एजेंडा

5.9 (16) मैसर्स आशू प्लास्टिक प्रा.लि.- क्षेत्र विशिष्ट शर्तों से छूट ।

न्युनतम भौतिक निर्यात दायित्व के संबंध में क्षेत्र विशिष्ट शर्त से छूट के लिए मैसर्स आशू प्लास्टिक प्रा.लि. के प्रस्ताव पर बोर्ड द्‌वारा विचार किया गया। यह देखा गया कि इकाई प्लास्टिक के कचरे और नाइलान के कचरे की रिसाइकल में लगी हुई है। हालॉकि प्लास्टिक का कचरा प्रतिबंधित श्रेणी के तहत कवर किया जाता है, और नाइलान का कचरा ओजीएल के तहत कवर किया जाता है तथापि दो श्रेणियों के रिसाइक्लिंग की अलग से निगरानी करना कठिन होगा। अतएव, 19.05.2015 को आयोजित इसकी बैठक में इकाई पर बीओए द्‌वारा लगाये गये क्षेत्र विशिष्ट शर्तों से छूट के लिए इकाई के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया और बोर्ड की राय है कि इकाई ईओयू में नाइलान के कचरे के रिसाइक्लिंग के लिए नया एलओपी प्राप्त कर सकता है, यदि इसकी इच्छा है।

भाग - II

<u>1995 के प्रेस नोट सं. 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्‌वारा अनुमोदन प्रदान किया गया</u>

क	जुलाई, 2016 से सितंबर, 2016 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन प्रदान किये गये।	केएएसईजेड
ख	अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2016 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन प्रदान किये गये।	सिप्ज
ग	जून, 2016 से प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन प्रदान किये गये- शुन्य	एफएसईजेड
घ	मई, 2016 से जून, 2016 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन प्रदान किये गये	एमईपीजेड
ड.	अगस्त, 2016 से सितंबर, 2016 तक प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन प्रदान किये गये	वीएसईजेड

नोट: अनुसमर्थित प्रस्तावों का विवरण अनुबंध- क में है।

दिनांक 09.11.2016 को अपराह्न 03.30 बजे, कमरा सं. 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित ईओयू स्कीम हेतु अनुमोदन बोर्ड की 5वीं बैठक (2016 सीरीज) के लिये प्रतिभागीयों की सूची

1. **सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव - अध्यक्ष**
2. **श्री आलोक वर्धन चतुर्वेदी , अपर सचिव, वाणिज्य विभाग**
3. **श्री एके भल्ला , डीजी, डीजीएफटी**
4. **श्री विनय छाबरा, डीजी, डीजीईपी, राजस्व विभाग**
5. **डॉ तेजपाल सिंह, अपर डीजीईपी, राजस्व विभाग**
6. **श्री टीवी रवि, निदेशक, वाणिज्य विभाग**
7. **सुश्री दीपशिखा शर्मा, निदेशक, सीबीडीटी, राजस्व विभाग**
8. **श्री सरोज बेहरा, संयुक्त निदेशक, सीबीईसी**
9. **श्री आनन्द कृष्णा, डीआईजी (एसयू), एमओईएफ**

विकास आयुक्तों की सूची

1. **डॉ एल बी सिंघल, विकास आयुक्त, एनएसईजेड और एफएसईजेड**
2. **डॉ सफीना एएन, विकास आयुक्त, सीएसईजेड**
3. **श्री एनपीएस मोंगा, विकास आयुक्त, सीप्ज सेज**
4. **श्री उपेंद्र वशिष्ठ , विकास आयुक्त, केएएसईजेड**
5. **सुश्री शोभाना केएस राव , विकास आयुक्त, वीएसईजेड**
6. **श्री जेएम गुप्ता, विकास आयुक्त, आईएसईजेड**
7. **श्री डी.आनन्दन, संयुक्त विकास आयुक्त, एमईपीजेड**